भारत सरकार
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
"एनडीएमए भवन",
ए–1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली – 110029.
दूरभाष सं. 26701701, फैक्स सं. 26701716

सं० 1–137/2018–प्रशमन II (एफटीएस–10548) दिनांक : 5 मार्च, 2020

सेवा में,

सभी मुख्य सचिवों/यूटी प्रशासकों

विषय : कोरोनावायरस (कोविड–19) के संबंध में उठाए जाने वाले कदम

महोदय/महोदया,

आपको अवगत है कि दुनिया भर में कोरोनावायरस (कोविड–19) से संक्रमित लोगों की संख्या 95,000 पार कर चुकी है। हमें संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरे अ.प्र. पत्र सं. दिनांक 4.2.2020 को जारी रखते हुए निम्नलिखित बिंदुओं को बताना चाहूंगा।

2 आपका ध्यान समूह रोकथाम, जिसमें प्रत्येक उपरिकेंद्र के चारों ओर संरोधन क्षेत्र (कंटेंमेंट जोन) और संरोधक क्षेत्र (बफर जोन) की पहचान की आवश्यकता है, के विशेष संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई 'संरोधन योजना' (कंटेनमेंट प्लान) की और आकर्षित किया जाता है।

3 जबकि आपको मंत्रिमंडल सचिव द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जा रही नियमित बैठकों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णयों को बारे में अवगत होगा, मैं संबंधित एजेंसियों द्वारा बिना देहशत फैलाए शुरू करने की अवश्यक महत्वपूर्ण कार्रवाई बिंदुओं को संक्षेप्त में प्रस्तुत कर रहा हूं:

i) सभी राज्यों/यूटी को प्रथम मोचकों के लिए स्वच्छीकरण प्रशिक्षणों को बढ़ावा देना चाहिए, विशेषकर जैविक आपातस्थिति से निपटने के आधार पर (सभी प्रमुख प्रथम मोचक हितधारकों को शामिल करते हुए)।

ii) लोगों को स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लगातार अपडेट किए जा रहे यात्रा परामर्श के बारे में जागरूक करें। सार्वजनिक स्वच्छता और जागरूकता शिष्टाचार तथा सोशल मीडिया पहुंच मंच पर क्या करें और क्या न करें प्रसारित करें।

iii) राज्य को पृथकीकरण, संरोधन, संक्रमण नियंत्रण, संरोधन उपायों, व्यापक स्क्रीनिंग तंत्र, घर में पृथकीकरण, सार्वजनिक स्वस्थ्य और कानून प्रवर्तन अभ्यास का मिश्रण, जोखिम संचार, क्षमता वृद्धि और नेटवर्किंग के साथ–साथ हितधारकों, जन–स्वास्थ्य और चिकित्सा विशेषज्ञों को शामिल करते हुए अंतरक्षेत्रीय समन्वय पर टेबलटॉप चर्चा और अभ्यास का आयोजन करना चाहिए। निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को भी व्यापक व्यवस्था तैयारियां बढ़ाने के लिए शामिल किया जाना चाहिए।

iv) आवश्यकता पड़ने पर सीमित स्थानों पर सार्वजनिक सभा से बचने का निर्देश ज्यादा से ज्यादा जारी करें। सामूहिक सभा को पुनर्निर्धारित या स्थगित किया जा सकता है और पर्याप्त जोखिम निर्धारण के बाद किया जाए।

v) सामाजिक दूरी और व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्यनीति का व्यापक प्रचार करें। स्कूलों में

जागरूकता अभियान तत्काल शुरू करना चाहिए। जोखिम निर्धारण के बाद राज्य/यूटी प्रशासर द्वारा अस्थाई स्कूल बंद करने का निर्णय लिया जाना चाहिए।

vi) अंतर्राष्ट्रीय मरीजों और चिकित्सा पर्यटन से निपट रहे अस्पताल संभावित रूप से उच्च जोखिम में हैं। इसिलए इन देशों से आने वाले या उपचाराधीन मरीजों के लिए पर्याप्त पृथकीकरण तंत्र की आश्यकता है। बुजुर्गों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।

vii) यदि स्थिति और बिगड़ती है, तो प्रमुख निगमों और कार्यलयों के लिए घर से काम करने के विकल्प पर निर्देश जारी करें। सभी अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय कार्य संबंधित यात्राओं को जबतक अत्यंत आवश्यक न हो बचना चाहिए।

viii) आतंक की रोकथाम के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों की सहायता से मनोसामाजिक देखभाल हेल्पलाइन और एसओपी की आवश्यकता है।

ix) सभी राज्यों/यूटी को मीडिया के साथ संपर्क के लिए एक स्पष्ट संचार कार्यनीति को अपनाते हुए व्यवसाय की निरंतरता, आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने और घबराहट से बचने तथा अफवाहों को फैलाने से बचने के लिए सभी पर्याप्त उपायों को करना सुनिश्चित करना चाहिए।

x) डीडीएमए को समुदाय सहयोग में बढ़ावा सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय एनजीओ और अन्य नागरिक सोसाइटी संगठनों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करने के लिए निर्देश दिया जाए।

4 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सुझाव दिया जाता है कि राहत आयुक्तों/एसडीएमए और जिला आपदा प्रबंधन एजेंसियों को शामिल किया जा सकता है, ताकि वायरस का प्रसारण को रोकने में ठोस उपाय किए जाएं।

भवदीय,

(जी.वी.वी. शर्मा)
सदस्य सचिव